# RAEBARELI POLICE

दिनाँक 13 अगस्त 2021 थाना ऊँचाहार

## हत्या की घटना का वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार-

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 11 अगस्त 2021 को थाना ऊँचाहार पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत मनिराम पुल के पास दिलीप कुमार पुत्र सुंदरलाल निवासी ग्राम महावीर का पुरवा ने पड़ोस के ही रहने वाले शंभूनाथ यादव (उम्र 50 वर्ष) निवासी उपरोक्त के गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक और आरोपी पारिवारिक हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक ऊंचाहार द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के

लिए भेज दिया गया। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के आधार पर पता चला है कि अवैध संबंध को लेकर घटना कारित की गई है। इस सम्बंध में थाना ऊँचाहार पर मुकदमा अपराध संख्या- 358/2021 धारा-302 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी डलमऊ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 12 अगस्त 2021 को थाना ऊँचाहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर मुअसं 358/2021 धारा- 302 भादवि का वांछित अभियुक्त दिलीप कुमार यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम महावीर का पुरवा मजरे मगेहरागुलालगंज थाना ऊँचाहार रायबरेली को थानाक्षेत्र के बडी रेलवे क्रासिग कस्बा ऊँचाहार से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुअसं- 361/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

दिलीप कुमार यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम महावीर का पुरवा मजरे मगेहरागुलालगंज थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

**पूछतांछ का विवरण-**

अभियुक्त दिलीप कुमार यादव से गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि हम दोनों एक ही परिवार के हैं। मृतक (शंभूनाथ यादव) का मेरी पत्नी से सम्पर्क में था। पिछले सप्ताह मैने दोनों को (अपनी पत्नी व मृतक शंभूनाथ यादव) को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसी बात को लेकर प्रतिशोध की भावना से दिनांक 11 अगस्त 2021 की रात्रि में मृतक जब मनिराम पुल शारदा नहर के पास पान की दुकान पर बैठा था, उसी समय मैने तमंचे से गोली मार दी जिससे शंभूनाथ यादव अपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी सीएचसी ले जाते समय मृत्यु हो गई। घटनास्थल से भागकर जाते समय मैंने तमंचे को नहर पटरी की झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिसटीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर लिया गया है।

**बरामदगी-**

01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर (घटना मे प्रयुक्त)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह थाना ऊँचाहार रायबरेली।
2. उप-निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव थाना ऊँचाहार रायबरेली।
3. मुख्य आरक्षी श्री राधेकृष्ण पाण्डेय थाना ऊँचाहार रायबरेली।
4. मुख्य आरक्षी श्री संतोष कुमार थाना ऊँचाहार रायबरेली।
5. आरक्षी श्री अरुण कुमार थाना ऊँचाहार रायबरेली।